>

Title: Need to cover temporary correspondents of Prasar Bharti under Journalist Act, 1955.

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आपका और सरकार ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि सरकार का कार्य किसी भी क्षेत्र में हो रहे शोषण को रोकना है। लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा हुआ प्रसार भारती है । इस प्रसार भारती में पूरे देशभर के करीब 550 से अधिक जिलों में अंशकालिक संवाददाता जिन्हें हम पीटीसी कहते हैं, कार्यरत हैं। इनका शोषण हो रहा है। ये अंशकालिक संवाददाता वहां पर कम से कम 20 स्टोरीज करते हैं और 20 स्टोरीज के साथ जिले में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं। एफ.एम. रेडियो में न्यूज के लिये इन्हें कार्य करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि पूरे 24 घंटे में माह में इन्हें सचेत और उत्तरदायी रहना पड़ता है। इसके एवज में इन्हें मात्र तीन हजार रुपया मिलता है। समाचार संग्रहण के लिये और प्रेषण के लिये इन्हें मात्र 500 रुपया मिलता है। फोन और फैक्स खर्च के रूप में इन्हें 750 रुपये मिलते हैं। इस महंगाई के जमाने में यदि प्रसार भारती का एक स्थायी संवाददाता यही कार्य करता है तो उसे 2000 रुपये मिलते हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि प्रसार भारती में इन लोगों का शोषण हो रहा है, उसे तत्काल रोका जाये । भारत सरकार द्वारा पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये एक वर्किंग जरनलिस्ट एक्ट 1955 बनाया गया था जिसमें प्रिंट मीडिया के पीटीसी को कवर किया गया था। चूंकि उस समय इलैक्ट्रोनिक मीडिया में ये पीटीसी कार्यरत नहीं थे।,उस समय इलैक्ट्रोनिक मीडिया इतनी प्रमुखता से हर जगह पर प्रसारित और प्रचारित नहीं हो पाया था लेकिन आज 20 वर्षों में इलैक्ट्रोनिक मीडिया लगातार प्रमुखता से सामने आया है। मेरा आपसे और आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि जनर्लिस्ट एक्ट,1955 के अंशकालिक संवाददाताओं को इसमें शामिल किया जाये जो इलैक्ट्रोनिक मीडिया के भी हैं। चूंकि ये उस समय शामिल नहीं हो पाये थे, इसके कारण जो प्रसार भारती के अंशकालिक संवाददाता हैं, उनके कारण उनकी वेतन सुविधा निर्धारित नहीं हो पायी है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सदन से मांग करना चाहती हूं कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया के अंशकालिक संवाददाताओं को, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 में संशोधन करके शामिल किया जाये । जब तक यह संशोधन नहीं होता है, तब तक उनके शोषण को रोकने के लिये प्रसार भारती के अंशकालिक संवाददाताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिये उन्हें वेतन, महंगाई भत्ता, टेलीफोन भत्ता, यात्रा भत्ता सब मिलाकर कम से कम 20 हजार रुपया तत्काल दिये जाने की व्यवस्था की जाये।